ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा

अभिषद् की अत्यावश्यक बैठक दिनांक 03.08.2019 का कार्यवृत्त

समयः 02:00 बजे — स्थानः कुलपति महोदय के आवासीय सभागार

उपस्थिति

1. प्रो0 सुरेन्द्र कुमार सिंह, कुलपति – अध्यक्ष
2. प्रो0 जय गोपाल – सदस्य
3. डॉ0 रतन कुमार चौधरी – सदस्य
4. डॉ0 दिलीप कुमार चौधरी – सदस्य
5. डॉ0 बैद्यनाथ चौधरी – सदस्य
6. डॉ0 अजीत कुमार चौधरी – सदस्य
7. डॉ0 हरि नारायण सिंह – सदस्य
8. श्री संजय सरावगी – सदस्य
9. डॉ0 अनिल कुमार मंडल – सदस्य
10. डॉ0 विजय मिश्रा – सदस्य
11. डॉ0 डी0 एन0 पासवान – सदस्य
12. डॉ0 इन्द्र कुमार राय – सदस्य
13. डॉ0 अमर कुमार – सदस्य
14. श्रीमती मीना कुमारी – सदस्य
15. डॉ0 फैयाज अहमद – सदस्य
16. डॉ0 बिनोद कुमार चौधरी – सदस्य
17. कर्नल निशीथ कुमार राय – सचिव

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की विधिवत् शुरूआत हुई। बैठक के शुरूआत में ही डॉ0 बैद्यनाथ चौधरी, श्री संजय सरावगी, डॉ0 दिलीप कुमार चौधरी एवं डॉ0 हरि नारायण सिंह ने पिछले बैठक के कार्यवृत्त पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उक्त कार्यवृत्त में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के सहायक कुलसचिव (प्रशासनिक) के संबंध में लिये गये निर्णय को स्पष्ट रूप देते हुए उस संबंध में लिए गये निर्णय का अनुपालन जल्द से जल्द किया जाय। श्री सरावगी ने कहा कि किसी भी कार्यवृत्त में छेड़–छाड़ करना काफी संवेदनशील मामला है। डॉ0 हरि नारायण सिंह ने विश्वविद्यालय अधिनियम की विभिन्न धारा एवं उपधारा का उल्लेख करते हुए नियुक्ति, निलंबन, बर्खास्तगी एवं स्थानांतरण से संबंधित सिंडीकेट के आर्डर को लागू करने के बारे में सदन को सूचित किया। अध्यक्ष महोदय ने सदन को आश्वस्त किया कि पिछले बैठक में लिए गिए निर्णय को कार्यवृत्त में शामिल करते हुए जाँच समिति की अधिसूचना जल्द ही निर्गत की जाएगी। साथ ही उन्होंने सदन को सूचित किया कि यह अत्यावश्यक बैठक एकल एजेण्डा पर बुलाई गई है और इस बैठक में सिर्फ उसी एजेण्डा पर विमर्श किया जाएगा। अन्य मुद्दों पर अगले बैठक में चर्चा होगी।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कुलसचिव ने इस बैठक के उद्देश्य को सदन के समक्ष रखा।

कुलसचिव ने सदन के समक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के डी0ई0बी0 से प्राप्त पत्र e-mail dated 23.07.2019 addressed to Director, DDE एवं उक्त पत्र के आलोक में गठित समिति " to suggest the process for implementation of the recommendations of the reports submitted by the Committee constituted by the Syndicate (notified vide memo no. LNMU/CR-351/18 dated 31-10-2018) for examining various aspects of "School Guru" and the Committee (notified vide memo no. 2207-15/19 dated 28.04.2019)

ह0/- 3.8.19

regarding claim for payments to be made to "School Guru". The committee will also look into details asked by the UGC DEB vide their email dated 23.07.2019" (अधिसूचना संख्या LNMU/DDE/CR-108/19 दिनांक 26.07.2019) के प्रतिवेदन (जो दिनांक 30.07.2019 को जमा किया गया था) को सदन में ही खोल कर पढ़ कर सुनाया। प्रतिवेदन के अनुशंसित बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा हुई तथा निर्णय लिया गया कि :

1. स्कूल गुरू से हुए समझौते को निरस्त करने पर निर्णय लिया गया कि जिस कमिटि "to suggest the process for implementation of the recommendations of the reports submitted by the Committee constituted by the Syndicate (notified vide memo no. LNMU/CR-351/18 dated 31-10-2018) for examining various aspects of "School Guru" and the Committee (notified vide memo no. 2207-15/19 dated 28.04.2019) regarding claim for payments to be made to "School Guru" ने अभी रिपोर्ट दिया है वही कमिटि उचित Legal Opinion लेने के बाद समझौते को निरस्त करने की पूरी कारवाई करेगी। स्कूल गुरू द्वारा दिए गए अंतिम बिल की राशि का भुगतान भी यही कमिटि नियमानुसार सुनिश्चित करेगी। बिल भुगतान से पहले छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए उनके संबंधित सभी डाटा वापस लेने का काम भी यही कमिटि करेगी।
2. स्कूल गुरू से अनुबंध करने में शामिल अधिकारियों व कर्मचारियों को चिह्नित कर कार्रवाई करने के लिए कुलपति एवं कुलसचिव महोदय को अधिकृत किया गया।
3. डी.डी.ई. में ICT सेवा 30 दिनों के अंदर संचालित करने के लिए एक कमिटि को शीघ्र अधिसूचित करने पर सहमति बनी। यह भी चर्चा हुई कि भविष्य में UMIS लागू होने के बाद DDE को भी उसके साथ जोड़ा जा सकता है।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जा कर 23.07.2019 के ई–मेल को किन परिस्थितियों में भेंजा गया की जाँच पर वृहद चर्चा हुईं। अध्यक्ष महोदय या उनके द्वारा नामित वरिष्ठ सदस्य को इसके लिए अधिकृत किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कुलसचिव ने सभी माननीय सदस्यों को अपना कीमती समय व सुझाव देने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। तदुपरान्त, बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

अनुमोदित।

ह0/–	ह0/–
(प्रो0 सुरेन्द्र कुमार सिंह)	*(कर्नल निषीथ कुमार राय)*
कुलपति–सह–अध्यक्ष	कुलसचिव–सह–सचिव

ज्ञापांकः– LLB – 516/19 दिनांकः– 3-8-2019.

प्रतिलिपि प्रेषितः–

1. **अभिषद् के सभी माननीय सदस्य,** ल0ना0 मिथिला विष्वविद्यालय, दरभंगा।
2. **सचिव,** उच्च षिक्षा बिहार, पटना।
3. **निदेषक,** उच्च षिक्षा, बिहार, पटना।
4. **उप–सचिव,** राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना।
5. **नोडल पदाधिकारी (विष्वविद्यालय वेबसाईट),** ल0ना0 मिथिला विष्वविद्यालय, दरभंगा।
6. **सभी पदाधिकारी/कुलपति के सचिव/प्रति–कुलपति/वित्तीय परामर्षी/कुलसचिव के निजी सहायक,** ल0ना0 मिथिला विष्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यार्थ।

3/8/19

कुलसचिव

ज्ञ 3125 3.8.19